भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1852

उत्तर देने की तारीख : 31.07.2025

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों हेतु ऋण सुविधाएं

1852. प्रो. सौगत राय:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के विकास को बाधित करने वाली सबसे बड़ी चुनौतियां अपर्याप्त पूंजी और ऋण सुविधाओं से संबंधित हैं;

(ख) यदि हां, तो एमएसएमई के लिए पूंजी और ऋण सुविधाओं का पर्याप्त प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त क्षेत्र में खराब और अपर्याप्त अवसंरचनात्मक सुविधाओं की समस्या का समाधान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार ने अपर्याप्त पहुंच और विपणन संपर्कों संबंधी समस्या का समाधान करने के लिए कोई कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में पंजीकृत/कार्यरत एमएसएमई की राज्य-वार संख्या कितनी है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) एवं (ख) : देश में एमएसएमई के लिए पर्याप्त पूंजी प्रवाह तथा क्रेडिट सहायता सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार द्वारा अनेक कदम उठाए गए हैं। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं:

i. सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम (सीजीएस) जैसी स्कीमें जिसमें विभिन्न श्रेणियों के ऋणों के लिए 90% तक गारंटी कवरेज के साथ एमएसई को 10 करोड़ रुपए (दिनांक 01.04.2025 से प्रभावी) की सीमा तक कोलेटरल मुक्त ऋण का प्रावधान है।

ii. प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) गैर-कृषि क्षेत्र में नए सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के लिए विनिर्माण और सेवा उद्यमों के लिए क्रमश: 50 लाख रुपए तथा 20 लाख रुपए की परियोजना लागत के साथ 35% तक की मार्जिन मनी सब्सिडी प्रदान करता है।

iii. विशेष क्रेडिट लिंक्ड केपिटल सब्सिडी स्कीम में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के स्वामित्व वाली एमएसई के लिए संयंत्र तथा मशीनरी/उपकरणों की खरीद के लिए संस्थागत वित्त पर 25% सब्सिडी का प्रावधान है।

iv. पीएम विश्वकर्मा स्कीम (पीएमवी) की शुरुआत दिनांक 17.09.2023 को 18 पारंपरिक व्यवसायों में अपने हाथों और औजारों से काम करने वाले देश भर के कारीगरों तथा हस्तशिल्पियों को सम्पूर्ण सहायता प्रदान करने के लिए की गई है।

v. आत्मनिर्भर भारत (एसआरआई) फंड की स्थापना उन एमएसएमई में इक्विटी निधियन के रूप में 50,000 करोड़ रुपए प्रदान करने के लिए की गई जिनमें विकसित तथा बड़ी इकाई बनने की क्षमता और संभावना हो। इस फंड के तहत, भारत सरकार से 10,000 करोड़ रुपए और निजी इक्विटी/वेंचर केपिटल फंड के माध्यम से 40,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है।

(ग) : देश भर में ढांचागत सुविधाएं प्रदान करने के लिए एमएसएमई मंत्रालय सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी) कार्यान्वित करता है। इस स्कीम के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त किए जाते हैं और मौजूदा क्लस्टरों में सामान्य सुविधा केन्द्रों (सीएफ़सी) स्थापित करने तथा नए/मौजूदा औद्योगिक संपदाओं/फ्लेटेड फैक्ट्री परिसरों में ढांचागत सुविधाओं की स्थापना/उन्नयन के लिए भारत सरकार के अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(घ) : सरकार ने देश भर में विपणन लिंकेज की स्थापना करने के लिए अनेक पहलें की हैं। खरीद और विपणन सहायता (पीएमएसएस) स्कीम, एमएसई को व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों में भागीदारी, वेंडर विकास कार्यक्रमों, आधुनिक पेकेजिंग तकनीक, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म आदि के माध्यम से बाजार तक पहुँच बढ़ाने के लिए लाभ प्रदान करती है।

मंत्रालय की अंतर्राष्ट्रीय सहयोग स्कीम के तहत, केंद्रीय/राज्य सरकार के पात्र संगठनों और उद्योग संगठनों को विदेशों में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों/मेलों/क्रेता-विक्रेता बैठकों में एमएसएमई की भागीदारी की सुविधा प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

इसके अतिरिक्त, सूक्ष्म और लघु उद्यम के लिए सार्वजनिक खरीद नीति आदेश, 2012 में सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए निश्चित बाजार शेयर का प्रावधान है। यह नीति (वर्ष 2018 में संशोधित) केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के स्वामित्व वाले एमएसई से 4% की खरीद तथा महिलाओं के स्वामित्व वाले एमएसई से 3% की खरीद सहित एमएसई से वार्षिक खरीद का 25% खरीदना अधिदेशित करती है।

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के तहत एमएसएमई ग्लोबल मार्ट पोर्टल एक बिजनेस से बिजनेस (बी2बी) पोर्टल है, जिसमें भारतीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को ऑनलाइन विपणन सुविधा प्रदान की जाती है।

(ङ) : उद्यम पंजीकरण पोर्टल के अनुसार, देश में पंजीकृत एमएसएमई की राज्य-वार संख्या अनुबंध-I पर हैं।

****

अनुबंध- I

"एमएसएमई हेतु ऋण सुविधाएं" पर लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1852, जिसका उत्तर दिनांक 31.07.2025 को दिया जाना है, के भाग (ङ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

उद्यम एवं यूएपी के तहत 01.07.2020 से 15.07.2025 तक राज्य/संघ शासित राज्य-वार पंजीकृत कुल उद्यम					
क्र.सं.	**राज्य/संघ शासित राज्य**	**सूक्ष्म**	**लघु**	**मध्यम**	**कुल**
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	19,261	157	3	**19,421**
2	आंध्र प्रदेश	33,60,676	16,491	942	**33,78,109**
3	अरुणाचल प्रदेश	39,037	344	19	**39,400**
4	असम	11,83,889	6,523	519	**11,90,931**
5	बिहार	35,73,259	11,635	560	35,85,454
6	चंडीगढ़	68,200	1,247	124	**69,571**
7	छत्तीसगढ़	11,35,360	8,198	701	**11,44,259**
8	दिल्ली	11,91,761	27,734	2,689	**12,22,184**
9	गोवा	1,12,106	1,094	79	**1,13,279**
10	गुजरात	36,99,208	53,058	4,124	**37,56,390**
11	हरियाणा	16,69,870	22,580	1,729	**16,94,179**
12	हिमाचल प्रदेश	2,91,899	2,507	208	**2,94,614**
13	जम्मू और कश्मीर	7,36,820	3,162	203	**7,40,185**
14	झारखंड	13,17,404	5,758	349	**13,23,511**
15	कर्नाटक	43,32,188	30,775	2,238	**43,65,201**
16	केरल	15,76,019	12,627	744	**15,89,390**
17	लद्दाख	18,480	112	2	**18,594**
18	लक्षद्वीप	2,208	-	-	**2,208**
19	मध्य प्रदेश	41,33,259	19,307	1,150	**41,53,716**
20	महाराष्ट्र	85,51,716	72,793	6,694	**86,31,203**
21	मणिपुर	1,47,987	412	17	**1,48,416**
22	मेघालय	53,908	393	34	**54,335**
23	मिजोरम	44,951	207	6	**45,164**
24	नागालैंड	60,701	170	16	**60,887**
25	ओडिशा	20,44,179	9,787	581	**20,54,547**
26	पुडुचेरी	94,030	654	62	**94,746**
27	पंजाब	18,22,767	16,546	1,205	**18,40,518**
28	राजस्थान	37,35,958	26,543	1,598	**37,64,099**
29	सिक्किम	28,908	158	13	**29,079**
30	तमिलनाडु	52,70,701	38,540	2,735	**53,11,976**
31	तेलंगाना	25,47,334	19,604	1,749	**25,68,687**
32	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	29,903	901	132	**30,936**
33	त्रिपुरा	2,71,441	679	45	**2,72,165**
34	उत्तर प्रदेश	70,62,336	39,018	2,475	**71,03,829**
35	उत्तराखंड	5,39,209	3,945	270	**5,43,424**
36	पश्चिम बंगाल	45,53,732	23,323	1,706	**45,78,761**
	कुल:-	**6,53,20,665**	**4,76,982**	**35,721**	**6,58,33,368**

स्रोत: उद्यम पंजीकरण पोर्टल